

RTI/Speed post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/90/2016-17

28 अक्टूबर, 2016

श्री फन्नू वर्मा,
अध्यक्ष, कोटेदार संघ, सा. सिंहपुर,
पोस्ट पिपरैचा, तहसील हाटा ब्लाक मोतीचक
जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु
महोदय,

उक्त संदर्भ में कृपया अपने 21.10.2016 के पत्र जोकि इस कार्यालय में 27.10.2016 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ आपने दस रूपये का नोट नकद संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आवेदन किया है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गयी सूचना की विषय-वस्तु इस सचिवालय से संबंधित नहीं है, अतः आपका आवेदन दस रूपये के नोट नकद सहित आपको वापस लौटाया जा रहा है तथा आपको सलाह दी जाती है कि इस विषय में आप श्री अरूण कुमार सहगल, अवर सचिव/नोडल ऑफिसर, खाद्य एवं वितरण विभाग कमरा नं. 21, कृषि भवन, नई दिल्ली से सीधे सम्पर्क करें।

धन्यवाद,

भवदीय,
हरबी शकील
(हरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

संलग्न : यथोपरि

ok
Narain Singh
28/10/16



सेवा में,

श्रीमान् श्री 34210244 महेश
काशीनाथ जनपद
अधिकाय महेशनाथ Beel onkar

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन देने के सम्बन्ध में।

महोदय

सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थी कोटेदार संघ का अध्यक्ष हूँ तथा कोटेदारों का सस्ते गल्ले के दुकान चलाना कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा चुनाव बदलते ही पंचायत प्रतिनिधि व विधान सभा के सदस्य व अन्य पदाधिकारीगण उत्पीड़न करते हैं तथा अपना उत्पीड़नात्मक प्रतिशोध चुनाव के भावना से ग्रसित होकर कोटेदार पर भिन्न तरह से आवेदन देकर परेशान करते हैं जिस कारण कोटेदार हरैना परेशान होता है और जिसके हित को देखते हुए भारत सरकार द्वारा मानदेय देने के बात कहीं है उस पर निम्न प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करता हूँ कि -

1. यह बतावें कि भारत सरकार द्वारा कोटेदार का मानदेय देने की बात आदेशित किया था उस पर क्या कार्यवाही हुआ इसका विस्तृत आख्या प्रमाणित उपलब्ध करायी जावें।
2. यह बतावें कि पंचायत प्रति निधि व सत्तापक्ष के विधायक व अन्य अधिकारीगण कोटेदार के विरुद्ध प्रतिशोधवश तरह-तरह से फर्जी आवेदन दे कर जॉच करवा रहे हैं। इस पर उसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही होनी चाहिए।
3. यह बतावें कि भारत सरकार द्वारा सारे कोटेदारों को मानदेय देने की बात कहीं है उस पर क्या मानदेय देने की संस्तुति शासन ने दिया है। वह पत्रावली किस स्तर पर लम्बित है उसका विस्तृत आख्या प्रमाणित दिया जावें।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन करके पैरा 1 से 3 तक का वांछित सूचना शुल्क आहरण कर उपलब्ध करायें।

संलग्नक:- 10 रू0 का भा0पो0आ0 न0

प्रार्थी फनू वर्मा

01H120741

23382504
 23073798 M.P.
 K. Saiyul Hossain

फनू वर्मा

अध्यक्ष

कोटेदार संघ

सा0 सिंहपुर पोस्ट- पिपरैचा,

तह0 हाटा, ब्लाक- मोतीचक

जनपद- कुशीनगर।

दिनांक: 21/10/16

21/10/16

S. Kondem
 17/10/16

पो0